

प्रेषक,

श्री अमोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र
प्रोग्रेस विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तकतक: दिनांक: 19 नवम्बर, 1993

विषय:- ग्रीन म्डीज स्कूल, पुलित ट्रेनिंग कॉलेज प्रथम सुरादावाद को सी०बी०स्त०
को नई दिल्ली से सम्बन्ध हेतु आपरित प्रमाण पत्र दिये जाने के
सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि ग्रीन म्डीज
स्कूल सी०बी०स्त० प्रथम सुरादावाद को सी०बी०स्त० नई दिल्ली से सम्बन्धता
प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन
आपरित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध सगिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक
सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचितजाति/अनुसूचित
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न
क्लासों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/
देशिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इंडियन
स्कूल स्टॉफिफिकेट अकजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस
परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से
मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था शैथिक एवं शिक्षेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य
भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें स्थायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त

अज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रणाली/प्रणालियों में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी है कि विद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों को ^{केवल} न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से कम नहीं ^{दिया} जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल वा. शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,


अशोक गांगुली
उप सचिव ।

पु०सं० ५५७१ 111/15-7-1993 तददिनांक
=====

प्रतिनिधि निम्न लिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक मुरादाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंनल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, ग्रीन मीडोव स्कूल, पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद ।

आज्ञा से,


अशोक गांगुली
उप सचिव ।